पत्रांक–भवन/बजट–66–योजना (पिछड़ा एवं अति पिछड़ा)–01/2019–20........... 6537 (अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 16/7/26

विषय– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2026–27** में कुल **₹ 1,40,30,090/–(एक करोड़ चालीस लाख तीस हजार नब्बे रूपए)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 1,40,30,090/–(एक करोड़ चालीस लाख तीस हजार नब्बे रूपए)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026–27** में प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर	33103	राज्य के वैशाली जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य	74/ 11.07.23	₹58,89,537/- (अंठावन लाख नवासी हजार पाँच सौ सैंतीस रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद	32926	औरंगाबाद जिलाअंतर्गत 100 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य	18/ 21.02.23	₹ 34,65,031/- (चौंतीस लाख पैंसठ हजार इकतीस रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, नवादा	32791	नवादा जिला के प्रखंड अकबरपुर में ग्राम तैयार में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य	74/ 11.07.23	₹ 46,75,522/- (छियालीस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ बाइस रूपये)
			योगः–		**₹1,40,30,090/–**

(एक करोड़ चालीस लाख तीस हजार नब्बे रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0118–पिछड़े वर्गो के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण कार्य **कोड–03–4059800510118** के विषयशीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0118.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2026–27** में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

16/7/26
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 6537 (अ) पटना, दिनांक– 16/7/26

प्रतिलिपि–सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/26
सरकार के अपर सचिव।